

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक: 2 (11सी)आरडी / नरेगा / 2006-07 जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

3 AUG 2009

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान अन्तर्गत अनुबंध पर
नियोजित कार्मिकों के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 16.07.2009 एवं एफ 4()
ग्रावि/ग्रारो/बैठक/09 दिनांक 17.07.2009

महोदय,

नरेगा के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के बारे में कई
जिलों में अनावश्यक भ्रान्तियां उत्पन्न हुई हैं। इस बारे में समाचार-पत्रों से भी ज्ञात
होता है कि जिला स्तर पर भ्रान्तियाँ दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

इस असमन्जस की स्थिति को दूर करने के लिए निम्न स्पष्ट "निर्देश" जारी
किये जाते हैं :-

1. संविदा पर नियुक्त कार्मिक का अनुबंध स्वीकृत पद की अवधि तक ही रहेगा
अर्थात् यदि पद दिनांक 28.02.2010 तक स्वीकृत है तो कार्मिक का अनुबंध भी
दिनांक 28.02.2010 तक ही किया जाये। अनुबंध बढ़ाने की कार्यवाही वित्त
विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.2007 के आधार पर ही की जाए।
2. अनुबंध की अवधि बढ़ाने हेतु कार्यवाही इस विभाग के जारी पूर्व निर्देशानुसार
कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही की जाये।
3. संविदा पर कार्मिकों की नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.2007
के आधार पर ही की जाए।
4. ऐसे कई कार्य जो स्वीकृत पद पर कार्मिक द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है उस
कार्य को Out Source के माध्यम से कराया जा सकेगा।

कृपया आप इन निर्देशों से सभी कार्मिकों को अवगत कराये एवं इनके उपरान्त
भी कोई संविदा पर कार्यरत कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के कार्य से अनुपस्थित रहता है
तो उसके अनुबंध को समाप्त करने की कार्यवाही अनुबंध की शर्तों के अनुसार की
जाए।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)

आयुक्त, ईजीएस